कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Telephone No. 07856-252545 Fax No. 07856-252021 E-mail id dantewada.court@nic.in

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक:–01/चयन समिति/2023 दंतेवाड़ा दिनांक 10/07/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि–	**11/07/2023**	**सुबह 11:00 बजे से**
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि–	**10/08/2023**	**संध्या 05:00 बजे तक**

जिला एवं सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थापना के रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	स्टेनो ग्राफर (हिन्दी)	04	0	0	0	0	03	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टेनो टायपिस्ट	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
3	सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष पद (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, नि.लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, सहायक अभिलेखापाल, सांख्यिकी लिपिक)	33	02	0	0	0	15	09	03	03	01	0	0	0	0	0	0	0
	आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी																	
4	स्वीपर–3 वाटरमेन–6 चौकीदार–4	13	0	0	0	0	09	3	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0

संकेतक :– मु.–मुक्त, म.– महिला, दि.–दिव्यांग, भूपू. सै.– भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीप :–

01. **उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।**

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

02. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।

03. महिलाओं को नियमानुसार होरिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जावेगा, वरण उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीद्वार द्वारा भरे जा सकेंगे।

04. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

05. सा.प्र.वि. क्र. एफ 3–1/2016/1–3 दिनांक 11.01.20217 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये लागू हैं।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

1. स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :–

अ– वेतनमान

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल–7) (28700–91300)

ब– शैक्षणिक योग्यता–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत** तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ii) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(iii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(iv) अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 Key depression प्रति घंटा होना चाहिये।

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

02 . स्टेनो टायपिस्ट पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :-

अ- वेतनमान

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ii) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(iii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(iv) उम्मीदवार की कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 Key depression प्रति घंटा होना चाहिये।

03. सहायक ग्रेड-3 के समकक्ष (एक्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, सेल अमीन, ऑफिस टायपिस्ट एवं डिस्पेचर) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं :-

अ- वेतनमान

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम **45 प्रतिशत** अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **40 प्रतिशत** अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

(ii) किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

छत्तीसगढ़ समाचार

(iii) अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5,000 Key depression प्रति घंटा होना चाहिये।

04. आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिये –

1. **वेतनमानः**–कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, द्वारा निर्धारित दर पर।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएंः–**

अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला (कक्षा पॉचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

ब. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य/ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

<u>आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेंः–</u>

(i) <u>आयु–सीमा</u> –

उम्मीदवार दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आयु संबंधी प्रमाण के लिए तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों को <u>हाईस्कूल/हायर</u> सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र एवं आकस्मिकता निधि के उम्मीदवारों को पांचवी के प्रमाण पत्र जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होगें। जो उम्मीदवार उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>अन्य शर्तें</u> –

(i) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(ii) तृतीय श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के

वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगा :-

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नही किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(iii) चयनित उम्मीद्वारों को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।

(iv) चयनित उम्मीद्वारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

(v) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रकिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण, पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

(vii) जो उम्मीदवार शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(viii) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ix) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(x) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्युनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(xi) यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरूद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते है, तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसकी सूचना समिति के द्वारा पृथक से दी जावेगी।

05. उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत नही होना चाहिए।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iv) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया

जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vi) छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (नुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(viii) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूत 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ix) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(x) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) विक्रम पुरस्कार सहित, राजीव पांडे पुरस्कार, गुन्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीपः– 01. बिन्दु क्रमांक 05 (i से ix) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

02. बिन्दु क्रमांक 05 (x से xii) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए

छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 05 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नही दी जायेगी।

यदि कोई अभ्यार्थी कोई छूट, आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुये दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

06. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(i) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र लिगल साईज पेपर में पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुये बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) पिन 494449 में दिनांक 10/08/2023 की संध्या 05:00 बजे तक पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। (व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे) दिनांक 10/08/2023 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र स्वयं अभिप्रमाणित (Self attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ii) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा के शासकीय वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada में किया जा सकता हैं तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हों तो उन्हें प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर

कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेंन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(v) ई–मेल,फैक्स,कोरियर के द्वारा प्रेशित आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगें।

(vi) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेंगा ।

(vii) आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

(viii) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

<u>नियुक्ति हेतु चयन विधि</u>

1. **<u>स्टेनोग्राफर हिन्दी/स्टेनो टायपिस्ट/सहायक ग्रेड–3 के समकक्ष एक्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, सेल अमीन, ऑफिस टायपिस्ट एवं डिस्पेचर) पद के लिए</u>**

<u>(अ) प्रथम चरण– लिखित परीक्षा–</u>

(1) आवेदकों की संख्या अधिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा गठित समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1–1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर **राईट (✓)** का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से लगाना होगा। एक से अधिक विकल्प पर चिन्ह लगाये जाने पर उत्तर गलत माना जावेगा। परीक्षा अवधि 01 घण्टे की होगी।

(2) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर उन रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम कमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

<u>(ब) द्वितीय चरण– कौशल परीक्षा</u>

लिखित परीक्षा में प्राप्ताकों के आधार पर प्राविण्यता के क्रम में 10 गुना उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–तीन के समकक्ष (एक्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, सेल अमीन, ऑफिस टायपिस्ट एवं डिस्पेचर) के पद के संबंध में हिन्दी शीघ्रलेखन एवं कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा।

02. **स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिये**

<u>कौशल परीक्षा– 80 अंक</u>

हिन्दी श्रुतलेख/शार्ट–हैण्ड के डिक्टेशन हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा प्रति मिनट 100 शब्द की गति होना आवश्यक है, डिक्टेशन हेतु 400 शब्द 04 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 20 मिनट में देना होगा, शब्द की गलती के लिये 1/5 अंक काटा जाएगा।

कौशल परीक्षा उबन्टू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र ऑफिस (Libre office) में ली जावेगी।

03. **स्टेनो टायपिस्ट पद के लिये**

<u>कौशल परीक्षा– 80 अंक</u>

हिन्दी श्रुतलेख/शार्ट–हैण्ड के डिक्टेशन हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा प्रति मिनट 60 शब्द की गति होना आवश्यक है, डिक्टेशन हेतु 240 शब्द 04 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद कर निर्धारित समय 20 मिनट में देना होगा, शब्द की गलती के लिये 1/5 अंक काटा जाएगा।

कौशल परीक्षा उबन्टू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र ऑफिस (Libre office) में ली जावेगी।

04. **सहायक ग्रेड–तीन के समकक्ष (एक्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, सेल अमीन, ऑफिस टायपिस्ट एवं डिस्पेचर)–80 अंक**

सहायक ग्रेड–03 के कौशल परीक्षा हेतु 80 अंक निर्धारित है, तथा 01 मिनट में 25 शब्द की गति होना आवश्यक है, टायपिंग हेतु 400 शब्द 16 मिनट में टाईप करने हेतु पृथक से प्रश्न–पत्र तैयार किया जावेगा। प्रति शब्द की गलती के लिये 1/5 अंक काटा जावेगा। कौशल परीक्षा उबन्टू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र ऑफिस (Libre office) में ली जावेगी।

टीपः– स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–03 के उम्मीदवार/अभ्यर्थियों से उपर उल्लेखित कौशल परीक्षा के अतिरिक्त, कंप्यूटर दक्षता के संबंध में भी उनका परीक्षण लिया जावेगा, जो निम्नानुसार रहेगाः–

05. कंप्यूटर परीक्षण/परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित है। कंप्यूटर परीक्षा हेतु 200 शब्द का प्रश्न–पत्र पृथक से तैयार किया जावेगा, जो निर्धारित समय सीमा 20 मिनट में परीक्षार्थी को लिखना होगा, जिसमें 10 अंक टाईप हेतु निर्धारित किया गया है।

टाईप करने में हुई प्रत्येक शब्द की गलती के लिये 1/20 अंक काटा जावेगा।

इसके अतिरिक्त शब्दों को लिखने के संबंध में निम्नानुसार अंक निर्धारित किया गया हैः–

1– अण्डर लाईन	01 अंक	2–बोल्ड	01 अंक
3–बुलेट	01 अंक	4–सेंटर	01 अंक
5–हेडर	02 अंक	6–लाईन–स्पेस	02 अंक
7–टेबल	02 अंक		

आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, स्वीपर, चौकीदार) पद के लिये

<u>प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु–60 अंक।</u>

उक्त पद के लिये प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा।

01. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

02. सामान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी पद के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

03. चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जावेगी।

<u>–: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची:–</u>

01. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार अनतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) तैयार की जावेगी। जो कि 1:3 के अनुपात में होगी और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक वैद्य रहेगी। उक्त सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय दंतेवाड़ा के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada में अपलोड एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा । चयनित अभ्यर्थियों के अनतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional list) के संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति हो तो उपरोक्त सूची के प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त समयावधि में कोई अभ्यवेदन प्राप्त

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

नही होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नही है।

02. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) को होगा।

03. कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता दी जावेगी, अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

04. कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्मतिथि होने की दशा में संबंधित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट एवं सहायक ग्रेड–3 हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक प्रतिशत के आधार पर वरियता दी जावेगी, जिस अभ्यर्थी के द्वारा अधिक अंक प्रतिशत अर्जित किये होंगे उसे वरियता दी जावेगी।

05. यदि चयनित अभ्यर्थी चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है या उसे पदच्युत किया जाता है या मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

<u>–: महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

01. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि. /2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी।

02. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

04. चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्ति की जा सकेगी।

05. चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

06. चयनित अभ्यर्थी को इस आशय को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नही है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नही किया गया है।

07. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र कमांक एफ–13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

08. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

09. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग. रायपुर से कराये जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

10. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।

11. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति, कॉलम में वर्तमान रंगीन, फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूलप्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

12. कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

13. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टकरण किये जाने योग्य होगा तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिये आवेदन मान्य नहीं होंगे।

14. लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।

15. प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

16. आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा के स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उपस्थित होंगे, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टीपः–

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर की आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

10/07/2023
अध्यक्ष
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

अनुमोदित
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
10.7.2023

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर–हिन्दी / स्टेनो टायपिस्ट / सहायक ग्रेड–3 / आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

आवेदन का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्टसाईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में नाम) : ....
3. पिता / पति का नाम : ....
   (अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में नाम)
4. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 [ ]
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में) : ....
   : ....
   (ब) स्थाई पता : ....
   ....
   ....
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
   (शब्दों में) : ....
   (ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु : .... वर्ष .... माह .... दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....[ ]..............
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ / नहीं
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हॉ/नहीं

12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हॉ/नही
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

16. क्या आप विवाहित है ? हॉ/नहीं

17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

18. यदि एक से अधिक विवाहित पति या पत्नी है। हां/नही

19. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता(प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

20. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :-

क्र0	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि
1	2	3	4	5

21. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

22. यदि आवेदक का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो उसका विवरण (दस्तावेज संलग्न करें)-..

23. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

01. .... 02. ....
03. .... 04. ....
05. .... 06. ....
07. .... 08. ....
09. .... 10. ....
11. .... 12. ....

टीपः- स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जायेगें।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते है, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :
स्थान :

आवेदन का हस्ताक्षर-
नाम एवं पूरा पता-
मोबाईल नं.-
ई-मेल-
(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)</u>

<u>–: प्रवेश पत्र :–</u>

स्टेनोग्राफर (<u>हिन्दी)/स्टेनो</u> टायपिस्ट/सहायक ग्रेड–3/आकस्मिकता निधि के पद हेतु।

आवेदन का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्टसाईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

आवेदक का पंजीयन कमांक	:–	____________________
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	:–	____________________
आवेदित पद का नाम	:–	____________________
अभ्यर्थी का नाम	:–	____________________
<u>पिता/पति</u> का नाम	:–	____________________
वर्ग–	:–	____________________
जन्मतिथि अंको में	:–	____________________
शब्दों मे	:–	____________________
(अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)	:–	____________________
परीक्षा तिथि	:–	____________________
समय	:–	____________________
परीक्षा केन्द्र	:–	____________________

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

<u>कार्यालयीन उपयोग हेतु</u>

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

<u>परीक्षार्थी के लिए अनुदेशः–</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आएगें। पृथक से प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन कमांक तथा अनुकमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/dantewada से प्राप्त करें।
3. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ एवं पेन ड्राइव आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो <u>चिपकाना/चस्पा</u> करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावें।
5. परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन,परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।